

१३

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण

मत्रांक : ०७ / प्र०अ०(भवन) / जौन-१ / २०१४-१५ दिनांक २४/०५/२०१६

अनुमति—पत्र

यह अनुमति उ०प्र०० नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम १९७३ की धारा १४ द १५ के अन्तर्गत दी जाती है, जिन्हें अर्थात् वह न संशोधना चाहिये लिए उस भूमि के सम्बन्ध में जिसके पर रामूह आवास मानचित्र (With F.A.R) स्वीकृत किया जा रहा है, इससे किसी प्रकार यह किसी स्थानीय निकाय या इसका इथानीय अधिकारी या व्यक्ति अथवा फस्ट के मालिकना अधिकारी पर किसी तरह कोई असार पड़ेगा अर्थात् यह अनुमति किसी के स्थिरतया या रदागित्व के अधिकारी के विरुद्ध कोई प्रताव न रखेगी।

श्री लवच्छुरा केशराजनी पुत्र स्व० दक्षो लाल केशराजनी ५वं श्री उमेश इन्द्र के संरक्षणी पुत्र स्व० रघुचंद्र केशराजनी द्वारा पार्ट ऑफ़ पी डी होल्ड शूखण्ड संख्या-८ सिविल रटेशन, बंगला न०-१३ नया ११ पुराना एलमार्टन रोड (ताशकन्द गार्म) परगना य तहसील—सदर, जिला इलाहाबाद के जौन रांभा (१) के अन्तर्गत सनूह आवास (With F.A.R) मवा के निर्माण की अनुमति हेतु दाखिल नानचित्र की स्वीकृति प्राप्ति प्राप्ति महोदय के स्वीकृति/निर्गमन आदेश दिनांक ०६-१२-२०१५ के द्वारा निर्णाकित प्रतिवर्ती के अधीन प्रदान की गयी है :

१. उ०प्र०० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम १९७३ की धारा १५र (१) के प्राविधिकाने जे अनुसूची पूर्णता प्राप्ति पत्र प्राप्त होने के पश्चात् ही उपयोग/अधिभोग किया जायेगा। गवन निर्माण एवं विकास उपविधि २००४ से उत्तराधि संख्या—२.१.४ एवं ३.१.५ से निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण कर्तव्य पूर्णता प्राप्ति—उत्तर प्राप्त करना जापर्यक है।
२. यह स्वीकृति अनुसूची (Provisional) स्वीकृति के रूप में होगी। निर्माण पूर्ण होने के उपरान्त, इनी आवश्यक Mandatory Clearances/N.O.C की जारी पूर्ण करने के पश्चात् निर्गत किये जाने पाले 'पूर्णता प्राप्ति—पत्र' प्राप्त करने के बाद ही इस परिषार को घासार्टिक उपयोग में लाया जा सकेगा।
३. स्थल पर ४X३ फिट का एक बोर्ड लागू कर प्राधिकरण द्वारा रवीकृत मानचित्र सम्बन्धी विवरण अंकित करना अनिवार्य होगा। जिसमें आकिटेक्ट/इन्जीनियर के नाम वा नाम भी अंकित हो।
४. स्थल पर १२ वृक्ष लगाना होगा। इथाने वृक्षों लो हस्त—शस्त्र रखने का दायित्व आदेश/रेजिलेन्ट हेलिफ्यर सोसायटी का होगा।
५. रेनवालर छाईरेटिंग का कार्य गानक के अनुसार पूर्ण करकर मू—गगं जल विद्युत से अनुगति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तत्पश्चात् जगा एक००२१४० बक्सुकल किया जायेगा।
६. स्थल पर रागस्त आन्तरिक टिप्पणी कार्य मानक के अनुसार पूर्ण करावार पूर्णता प्रमाण यत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा। तत्पश्चात् ही आन्तरिक विकास व्यवहार के सामेज जगा हैक गानकी अवधिपत्र की जायेगी।
७. सोलर बॉर्टर हॉटिंग रायन्न वा रथापना ट्रैसेम पर आवश्यक रूप से ली जायेगी।
८. उ०प्र०० आपार्टमेन्ट एकड़ २०१० एवं रूल्स २०११ का उपरान्त पालन करना होगा।
९. साझेदाता में उत्तरा के संरक्षण हेतु यह उपेक्षा है जिसे परिसर की रटीट लाइट कॉमन रपोर्ट को सोलर पैनल द्वारा प्रज्ञावलित किया जाय।
१०. गुरुव्य अर्थन शमन अधिकारी इलाहाबाद की अनापत्ति फत्रांक : २०१५/८३०३/इला०/४२/सीएफओ दिनांक २०.०१.२०१६ में अंकित प्रतिवर्ती का अकारण अनुपालन करना होगा। (छायाप्रति रांगन)



